



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20022026-270323
CG-DL-E-20022026-270323

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 18, 2026/माघ 29, 1947

No. 117]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 18, 2026/MAGHA 29, 1947

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2026

सं.एम-27011/01/20250-एमएआरबी(लीगल)/एनएमसी.— “राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम की धारा 57 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 26, 28 और 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, “नए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, नए चिकित्सा पाठ्यक्रमों की शुरुआत, मौजूदा पाठ्यक्रमों के लिए सीटों में वृद्धि और मूल्यांकन एवं रेटिंग विनियम, 2023” या “नए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, मूल्यांकन एवं रेटिंग विनियम, 2023” में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित मसौदा विनियम बनाता है, अर्थात्—”

1.

i. इन विनियमों को “नए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, नए चिकित्सा पाठ्यक्रमों की शुरुआत, मौजूदा पाठ्यक्रमों के लिए सीटों में वृद्धि और मूल्यांकन एवं रेटिंग (संशोधन) विनियम, 2026” कहा जाएगा, तथा संक्षेप में “नए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, मूल्यांकन एवं रेटिंग (संशोधन) विनियम, 2026” कहा जा सकेगा।

ii. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. चिकित्सा संस्थानों की स्थापना में, मूल्यांकन एवं रेटिंग विनियम, 2023

i. **खंड 6(क)** को हटा दिया जाएगा।

ii. **खंड 6(छ)** के स्थान पर निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा— “कंपनी अधिनियम, 2013 या उसकी स्थापना के समय प्रवृत्त किसी अन्य संबंधित कानून के अंतर्गत विधिवत् निगमित कोई कंपनी।”

iii. **खंड 6(छ)** के पश्चात् एक नया **खंड 6(ज)** निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

“कोई ट्रस्ट जो संबंधित राज्य में ट्रस्टों को स्थापित करने और रेगुलेट करने के लिए बनाए गए संबंधित कानून के अंतर्गत पंजीकृत हैं।”

iv. **खंड 9**, “योग्य संस्था द्वारा प्रस्तुत कोई भी आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके साथ— “ को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा— “योग्य संस्था द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा किए जाएंगे।”

v. **खंड 9(क)** को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या उपयुक्त प्राधिकारी जैसा मामला हो, द्वारा जारी अनिवार्यता प्रमाणपत्र (ईसी), जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो। आवेदन के समय अनिवार्यता प्रमाणपत्र (ईसी) वैध होना चाहिए। यह खंड उन स्थापित कॉलेजों पर लागू नहीं होगा जो नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए आवेदन कर रहे हैं।”

vi. **खंड 9(ख)** को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त सहमति पत्र (Consent of Affiliation – CoA), जो आवेदनकर्ता, मेडिकल कॉलेज/संस्था के नाम से लिखित रूप में जारी किया गया हो। CoA आवेदन प्रस्तुत करने के समय वैध होना चाहिए; और

vii. **खंड 9(ग)** को हटा दिया जाएगा।

viii. **खंड 9(घ)** को इस प्रकार संशोधित किया जाएगा:

आवेदन आमंत्रित करने की अंतिम तिथि से नब्बे दिनों के भीतर किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी किए गए पिछले पूर्ण वित्तीय वर्ष के आधार पर एक शोध क्षमता प्रमाणपत्र (सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट)।

ix. **खंड 9** के अंतर्गत, स्पष्टीकरण 3 के पश्चात् पहले उपबंध (Proviso) को इस प्रकार संशोधित किया जाएगा:

बशर्ते कि कोई भी अधूरा आवेदन अर्थात् वर्तमान विनियम में निर्दिष्ट अनिवार्य दस्तावेजों के बिना प्राप्त आवेदन, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 28(2) के अनुसार, उन्हें एक वैध/पात्र योजना नहीं माना जाएगा और ऐसे आवेदन को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 के धारा 28(3) तथा इस विनियमन के खंड 13 के अंतर्गत निर्धारित किसी भी अवसर को प्रदान किए बिना, चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड (MARB) द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा।

x. खंड 15 में "प्रथम अनुच्छेद" के पश्चात् तथा "प्रथम उपबंध" से पूर्व निम्नलिखित "नया अनुच्छेद" जोड़ा जाएगा:

"आवेदनकर्ता/संस्था द्वारा नए चिकित्सा संस्थान के संचालन के लिए विशेष रूप से निर्धारित एक कॉर्पस फंड के निर्धारण के संबंध में आवेदन प्रस्तुत करने के समय एक वचनपत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पहले से संचालित सभी मेडिकल कॉलेज को भी मेडिकल कॉलेज के संचालन हेतु विशेष रूप से निर्धारित एक कॉर्पस फंड बनाए रखना होगा। इस कॉर्पस फंड की राशि का निर्धारण चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा किया जाएगा तथा इसकी सूचना नोटिस के माध्यम से दी जाएगी। कॉर्पस फंड की राशि समय-समय पर संशोधित की जाएगी। कॉलेज को जब भी चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड (MARB) द्वारा निर्देशित जाएगा, कॉलेज को दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

xi. खंड 31 (ग) को इस प्रकार संशोधित किया जाएगा:

"किसी नई योजना/योजनाओं के लिए या उस शैक्षिक वर्ष या ऐसे निर्धारित वर्षों के लिए सीटों में वृद्धि के आवेदन, की प्रक्रिया को रोकना या उन्हें अस्वीकार करना।"

xii. खंड 31 (ज) को इस प्रकार संशोधित किया जाएगा:

व्यक्तियों या एजेंसियों के माध्यम से चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड (MARB) या राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग पर दबाव डालने का कोई भी प्रयास, चिकित्सा संस्थान द्वारा आवेदन/अनुरोध की प्रक्रिया को तत्काल रोक दी जाएगी या उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

डॉ. राघव लंगर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./692/2025-26]

नोट: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में, सीजी-डीएल-ई-0262023-246253 दिनांक 2 जून, 2023 के माध्यम से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिसूचना सं. M-27011/01/2023-MARB के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग "नए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, मूल्यांकन और रेटिंग विनियम, 2023" में कुछ संशोधन प्रस्तावित करता है। खंड 6, 9, 15 और 31 में विनियम में संशोधन करने के लिए मसौदे विनियम को निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए एवं सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से तैयार किया गया है और एतद् द्वारा इसके प्रभावित होने वाले सभी हितधारकों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त मसौदा विनियम (संशोधन) पर उस तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि समाप्त होने पर या उसके बाद, विचार किया जाएगा, जिस तारीख को भारत के राजपत्र में प्रकाशित इन मसौदा विनियम (संशोधन) की प्रतियां, जनता के लिए उपलब्ध करा दी जाती हैं।

उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों एवं सुझावों पर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा विचार किया जाएगा।

आपत्तियां एवं सुझाव, यदि कोई हों तो निदेशक (पीजी-एमएआरबी), एनएमसी कमरा नंबर 003, गेस्ट हाउस, ग्राउंड फ्लोर, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, पॉकेट 14, सेक्टर-8, द्वारका, फेज-1, नई दिल्ली-77 के पते पर प्रेषित किए जा सकते हैं तथा नीचे दिए गए निर्धारित प्रारूप में ई-मेल द्वारा (emiarr2026amendment@nmc.org.in) पर भी भेजे जा सकते हैं:

आपत्तियां और सुझाव केवल ऊपर दिए गए ई-मेल आईडी पर ही भेजें तथा दूसरे तरीके से, यानी भौतिक या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आपत्तियां/सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

अधिसूचना का मसौदा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की वेबसाइट <https://www.nmc.org.in> पर उपलब्ध होगी।

सुझाव/टिप्पणियाँ प्राप्त करने का प्रारूप

क्र.सं.	व्यक्ति/संगठन का नाम एवं पता, संपर्क संख्या, ई-मेल आईडी	मसौदा/ड्राफ्ट अधिसूचना का वह सम्बद्ध भाग, जिस पर टिप्पणियाँ की जा रही हैं	टिप्पणियाँ/सुझाव	तर्क	टिप्पणियाँ

NATIONAL MEDICAL COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2026.

No. M-27011/01/2025-MARB(LLEGAL)/NMC- In exercise of the powers conferred vide sub-section (2) of Section 57 read with Sections 26,28 and 29 of the National Medical Commission hereby makes the following **draft regulations** to further amend the “Establishment of New Medical Institutions, Starting of New Medical Courses, Increase of Seats for Existing Courses & Assessment & Rating Regulations, 2023” or “Establishment of New Medical Institutions, Assessment & Rating Regulations, 2023” namely –

1. (i) These regulations may be called the – “Establishment of New Medical Institutions, Starting of New Medical Courses, Increase of Seats for Existing Courses & Assessment & Rating (Amendment) Regulations, 2026” in short “Establishment of New Medical Institutions Assessment & Rating (Amendment) Regulations, 2026”.

(ii) They shall come into force from the date of the publication in Official Gazette.

2. In the Establishment of Medical Institutions, Assessment & Rating Regulations, 2023

i. **Clause 6 (a) shall be deleted.**

ii. **Clause 6(g) shall be substituted by “A Company duly incorporated under the Companies Act, 2013 or any other corresponding law in force during its establishment.”**

iii. After Clause 6(g) and a new **Clause 6(h)** shall be **inserted** as:

“A Trust registered under the respective statute meant to establish and regulate trusts in the respective State.”

iv The **clause 9**, “No application submitted by the eligible entity shall be entertained unless it is accompanied with- ” **shall be substituted by** “The following documents shall be submitted by the eligible entity-”.

v. The **clause 9 (a)** shall be **substituted** as:

“Essentiality Certificate (EC) issued by the concerned State Government or Union Territory administration or the appropriate authority as the case may be unless otherwise specified. The EC shall be valid at the time of application. *This clause shall not be applicable for established colleges applying for starting of new Post-graduate courses.*”

vi. The **clause 9(b)** shall be **substituted** as:

“A Consent of Affiliation (CoA) letter obtained from a recognized university, issued in the name of the applicant/the Medical College/ the entity in writing. *The CoA shall be valid at the time of submission of application*; and

vii. The **Clause 9 (c)** shall be **deleted**.

viii The **clause 9 (d)** shall be **amended** as:

A solvency certificate based on *last completed financial year* issued by a Chartered Accountant within ninety days prior to the last date of invitation of the application.

ix The **first proviso** after Explanation 3, under clause 9 shall be **amended** as:

“Provided any incomplete applications received, meaning applications without the mandated documents specified in the present Regulation, *shall not constitute a valid/eligible scheme as per Section 28(2) of National Medical Commission Act, 2019 and the same be rejected by the MARB without any opportunity as mandated under Section 28(3) of the NMC Act and clause 13 of this regulation.*”

x. A “new para” **shall be inserted** after “first para” and before “the first proviso” of the clause 15 as:

“*The applicant/entity shall submit an undertaking at the time of submission of application for earmarking a corpus fund dedicatedly applicable to functioning of the new medical institution. Further, all Medical Colleges already running will also have to maintain a corpus fund dedicatedly applicable to functioning of the medical college. The amount of such Corpus fund shall be determined by the Medical Assessment & Rating Board and shall be communicated through Notice. The amount of corpus fund shall be subject of revision time to time. The College will have to submit the documentary proof whenever directed by the MARB.*”

xi The **clause 31 (c)** shall be **amended** as:

Withholding processing or rejection of application(s) for any new scheme/s or for increase in seats for that academic year or for a such number of years.

xii The **clause 31 (h)** shall be **amended** as:

“Any attempt to pressurize MARB or NMC through individuals or agency will lead to immediate halt of the processing or rejection of the application(s)/request(s) by the medical Institution.”

Dr. RAGHAV LANGER, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./692/2025-26]

Note:- The principal regulation was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide CG-DL-E-0262023-246253 dated 2nd June, 2023 vide NMC Notification No. M-27011/01/2023-MARB.

The National Medical Commission proposes certain amendment to “Establishment of New Medical Institutions, Assessment & Rating Regulations, 2023”. The draft Regulation amending the Regulation in Clause 6, 9, 15 and 31 have been prepared and approved by the competent authority following due procedures is hereby published for information of all stakeholders likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft Regulation (amendment) shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty (30) days from the date on which the copies of the Gazette of India containing these draft Regulation (amendment) are made available to public.

Objection and suggestion which may be received from any person within the period specified above will be considered by the National Medical Commission.

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Director (PG-MARB), NMC, Room No. 003, Guest House, Ground Floor, National Medical Commission, Pocket – 14, Sector-8, Dwarka,Phase-1, New

Delhi-77 and sent by e-mail at (emiarr2026amendment@nmc.org.in) in the prescribed format attached below:

The objections and suggestion be sent **only** on the above e-mail ID and objection/suggestions received in any other means i.e. physical or through other modes will not be entertained.

The draft notification will be available on National Medical Commission's website <https://www.nmc.org.in>

Format for seeking Suggestion/Comments

SI. No.	Name & Address of the person/ organization Contact Number, e-mail ID	Relevant Section in the Draft Notification on which comments are being provided	Comments/ Suggestions	Rationale	Remarks